# प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**

**दिनांक- 19.07.2026**

- **थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा बकरा/बकरी चोरी करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को 02 बकरों सहित किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज कानपुर, श्री यमुना प्रसाद के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक महोदया, कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में चोरी संबन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.07.2026 को थाना गजनेर पर आवेदक श्री राजन सोनकर पुत्र कल्लू सोनकर निवासी ग्राम हिम्मापुरवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 17.07.2026 को समय करीब 17.30 बजे घर के बाहर बंधे दो बकरा रगं काला व भूरा को विपक्षी जुबैर पुत्र सईद निवासी ग्राम जुग्गापुर, कृपालपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा अपने एक अज्ञात चोर के साथ स्प्लेण्डर मोटर साइकिल से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 172/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1. जुबैर पुत्र सईद निवासी ग्राम जुग्गापुर, कृपालपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात, 2. एक अज्ञात चोर नाम,पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित नामित अभियुक्त जुबैर पुत्र सईद निवासी ग्राम जुग्गापुर, कृपालपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को जलालपुर नागिन मोड़ गजनेर रोड़ यूपीएसआईडीसी पानी की टंकी ग्रोथ सेंटर थाना गजनेर से आज दिनांक 18.07.2026 को 02 बकरों सहित गिरफ्तार किया गया व 01 अभियुक्त नाम पता अज्ञात मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी व बरामदगी आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को निमयानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम,पता-**

1. जुबैर उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र सईद निवासी ग्राम जुग्गापुर, कृपालपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

**पूछताछ अभियुक्त-** पूछने पर अभियुक्त जुबैर ने बताया कि दिनांक 17.07.2026 को मैंने व अपने साथी धर्मेन्द्र उर्फ आशिक पुत्र महेन्द्र बंजारा निवासी कृपालपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात घर से उसकी स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल से बकरा चोरी करने निकले थे। घूमते-घामते समय करीब 5.30 बजे शाम ग्राम हिम्मापुरवा थाना गजनेर क्षेत्र से दो बकरा उम्र जवान जिनमें एक भूरा और एक काला था को हम दोनों ने चुरा कर मोटरसाइकिल पर लादकर ले गए थे आज मैं और मेरा साथी धर्मेन्द्र उर्फ आशिक बकरों को घाटमपुर बेचने जा रहे थे और यूपीएसआईडीसी की पानी की टंकी के पास धर्मेन्द्र उर्फ आशिक मुझे रात्रि होने तक इंतजार करने की कहकर मुझे व दोनो बकरों को छोड़कर गुटखा लेने चला गया था तभी आप लोगों ने पकड़ लिया साहब हम लोग बकरा चोरी करके उनको बेचकर पैसा कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।

**अभियुक्त जुबैर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 832/2014 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0 172/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

**गिरफ्तार करने वाली थाना गजनेर पुलिस टीम-**

1..थानाध्यक्ष श्री सनत कुमार
2 उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह
3 . हे0का0 340 हरगोविन्द सिंह
4.का0 929 गुरदीप सिंह

5.रि0का0 737 युवराज प्रताप सिंह